

Binani
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

19.06.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं। लिहाजा वादी का वाद अदम परखी व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर स्वीरिज किया जाता है।

पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर कारखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

~~19/06/25~~
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

